भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1936
दिनांक 10.07.2019/19 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

पुलवामा हमले में मरने वाले सुरक्षा कार्मिकों को शहीद का दर्जा दिया जाना

1936. श्री संजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 14 फरवरी, 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा हमले में मरने वाले सुरक्षा कार्मिकों/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को शहीद की उपाधि प्रदान की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): ऐसी कोई अधिकारिक नामपद्धति (नोमेनक्लेचर) नहीं है। गृह मंत्रालय ने कार्रवाई में जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) कार्मिकों के निकट संबंधियों को "ऑपरेशनल कैजुअलटी सर्टिफिकेट" जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलवामा की घटना में सीआरपीएफ कार्मिकों की मौत के 40 मामलों में से, सीआरपीएफ ने 39 मामलों के संबंध में "ऑपरेशनल कैजुअलटी सर्टिफिकेट" जारी करने की पुष्टि की है, जबकि एक मामले में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित मामला न्यायाधीन है।

*****